न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 01/2024

जी.सी.एम.एस. नं.: 2024/18

1. निर्मला देवी पुत्री पूर्णचन्द पत्नी ओमप्रकाश नागपाल जाति अरोड़ा निवारी वार्ड नं. 04, न्यू कॉलोनी, आनन्द विहार, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर

—: प्रार्थी

बनाम

1. नवनीत कुमार पुत्र ढोलाराम जाति अरोड़ा निवारी नजदीक डाडा पम्मा राम गुरूद्वारा, तहसील श्रीविजयनगर
2. हरीचन्द पुत्र ढोलाराम जाति अरोड़ा निवारी नजदीक डाडा पम्मा राम गुरूद्वारा, तहसील श्रीविजयनगर
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, श्रीविजयनगर
4. शाखा प्रबंधक/अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा एडीबी श्रीविजयनगर

—: अप्रार्थीगण

1. दिव्या पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 14, दीप सिंह गुरूद्वारा वाली गली, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर
2. अमित कुमार पुत्र नवनीत जाति अरोड़ निवासी पुरानी आबादी, कृष्णा मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. आशारानी पुत्री पूर्णचन्द पत्नी कृष्णलाल तुतलानी, जाति अरोड़ा निवासी रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. उर्वशी पुत्री कुदरतीवली माता दिव्या पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 14, दीप सिंह गुरूद्वारा वाली गली, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर
5. नीनारानी पुत्री पूर्णचन्द पत्नी राजकुमार बतरा जाति अरोड़ा निवासी ऑडियो हब, दुकान नं. 1026, हिमल्टन रोड़, थाने के पास, कश्मीरी गेट, दिल्ली
6. नीरू पुत्री धर्मवीर पत्नी मनोज कुमार जाति अरोड़ा निवासी भोलेनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, थाना रोड़, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
7. बबली रानी पत्नी नवनीत जाति अरोड़ा निवासी पुरानी आबादी, कृष्णा मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. भजनी देवी पुत्री पूर्णचन्द पत्नी सोहनलाल मिढढा जाति अरोड़ा निवासी आदर्श कॉलोनी, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
9. राजरानी पत्नी धर्मवीर जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 14, दीप सिंह गुरूद्वारा वाली गली, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर

—:तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. **श्री गुलशन सेतिया, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **एकपक्षीय, अप्रार्थीगण सं. 1,2,4 एवं तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 1 से 9**
3. **राजपैरोकार**

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:37:02 IST
Reason: SelfAttested

—: **निर्णय** :—

दिनांक : 26.05.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि

1. प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तरतीबी पक्षकारान के साथ प्रार्थी के नाम की चक 33 जीबी मु.नं. 48 प.नं. 181/420 के कि.नं. 13,14,17,18,19,20/1,21/1,22ता24 की कुल 2.480है. कमाण्ड भूमि है। जिसमें पंहुच के प्रयोजनार्थ अप्रार्थी सं. 1—2 की खातेदारी भूमि चक 33 जीबी प.नं. 181/420 मु.नं. 48 कि.नं. 4 व 7 में उत्तर से दक्षिण दिशा में 16 फुट रास्ता आम स्वीकृत करने के लिए निवेदन किया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए और जवाब प्रार्थना पत्र पेश

किया। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 4 व [illegible] तरतीबी पक्षकार 1 से 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही गयी। भू अभिलेख निरीक्षक से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष अनुसार रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

3. पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि वांछित रास्ता कि.नं. 4 व 7 में चल रहा था जिसे अप्रार्थीगण ने बन्द कर दिया। अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को प्रतिफल देने के लिए तैयार है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कि.नं. 4 व 7 में मौका पर कोई रास्ता नहीं है, ना ही वर्षो से चला आ रहा है। अप्रार्थीगण ने अपनी सुविधा के लिए खेत में मोटरसाईकिल, साईकिल से आने जाने के लिए एक पगडंडी बना रखी है तथा पगडंडी का उपयोग कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी को दूसरा रास्ता उपलब्ध है। कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 जो नगरपालिका श्रीविजयनगर के नाम से है, कि.नं. 25 में रास्ता स्वीकृत करवा अपनी भूमि में प्रार्थीया प्रवेश कर सकती है। प्रार्थीया ने जानबूझकर सहकाश्तकार को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मद सं. 2 में अंकित किया गया है कि भूमि तरतीबी पक्षकारान के साथ राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद है, समस्त भूमि की सार सम्भाव व हिस्से/ठेके पर प्रार्थीया ही काश्त करती है। तरतीबी अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट वादी को अपनी कृषि जोत में पंहुचने हेतु रास्ते की आवश्यक्ता है अन्य कोई रास्ता नहीं है। और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। कि.नं. 4, 7 में से होकर वादी अपने रकबे में जाता है। प्रस्तावित रास्ते को स्वीकृत करने पर खाला, खड़े वृक्ष, फसल या अन्य किसी सरंचना के नुकसान होने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट से साथ प्रस्तुत नक्शा का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी की तरतीबी पक्षकारान के साथ संयुक्त खाता में भूमि होने के आधार पर अप्रार्थीगण का ऐसे में यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रार्थीया को रास्ता की मांग करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि प्रार्थी द्वारा रास्ता की गयी मांग अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है। प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में पंहुच हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

—: आदेश :—

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 से 2 की खातेदारी भूमि चक 33 जीबी प.नं. 181/420 मु.नं. 48 कि.नं. 4 व 7 में उत्तर से दक्षिण दिशा में 2 बिस्वा गै.मु. रास्ता पूर्वी पासा स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि की एवज [illegible] आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगें। तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रतिकर की गणना कर प्रार्थीगण से नियमानुसार राशि जमा कर स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा अप्रार्थीगण स. 1 से 2 को जमाशुदा प्रतिकर राशि का उनके अंश अनुसार भुगतान करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:37:02 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर